उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
संख्या–464/38–6–12–1जीआई/2010–टी0सी0–।।
लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई. सी.सी.2011) कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से उक्त सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना दिनांक–**01 जून, 2012** से कराये जाने की घोषणा अधिसूचना संख्या–365/38–6–12–1जीआई/2010–टी0सी0–।। दिनांक–13 अप्रैल, 2012 के द्वारा की जा चुकी है एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–367/38–6–12–1जीआई/2010–टीसी–11, दिनांक–16 अप्रैल,2012 के द्वारा समस्त जिला जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र में 'प्रधान सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना अधिकारी (Principal SECC-2011 Officer)' नियुक्त किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक–16–4–2012 के क्रम में श्री राज्यपाल समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट/'प्रधान सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय जनगणना अधिकारी को जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय हेतु **'सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय जनगणना समन्वय अधिकारी (Socio-Economic & Caste Census Co-ordination Officer)'** नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास/राज्य समन्वयक उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, जनगणना कार्य, उ0प्र0 लखनऊ।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय/राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)/सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के प्रकाशन हेतु।
15. उप महाप्रबन्धक/राज्य नोडल आफिसर, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, लखनऊ।
16. अपर राज्य समन्वयक/अपर आयुक्त, (प्रशासन/मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
17. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।